Headline: Relief on Affordable Housing

रियल एस्टेट और बजट २०१३-१४

किफायती घरों पर इनायत



रियल एस्टेट डेवलपर्स, विशेषज्ञों और घर खरीदने की इच्छा रखने वाले <mark>लोगों को बजट से कई उम्मीदें थीं। कुछ उम्मीदें तो</mark> पूरी हुई हैं, लेकिन कई उम्मीदें दूटी भी हैं। जहां किफायती घरों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वहीं लग्जरी संपत्तियों पर कुछ भार भी डाला गया है। श्यिल्टी सेक्टर को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की लंबे समय से ूचली आ रही मांग को भी अनदेखा कर दिया गया है। <mark>शजीव रंजन</mark> की रिपोर्ट

त्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट को रियल एस्टेट सेक्टर से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहां बजट के कुछ प्रावधानों से राहत मिलेगी, वहीं कुछ प्रावधान इस सेक्टर के विकास में बाधक भी साबित होंगे। बजट के कुछ प्रावधानों की प्रशंसा करते हुए टीडीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के सीओओ नीतेश कुमार ने कहा, 'इस बजट से किफायती घरों के बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी व तीसरी श्रेणी के शहरों में आवासीय बाजार को फायदा होगा।' सिक्का ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग व सेल्स) पीयूष शर्मा का कहना है, 'अफोर्डेबल आवासों के लिए बाह्य व्यावसायिक ऋण (ईसीबी) की खिड़की खुलने से कम कीमत के घरों का निर्माण करने वाले डेवलपरों को पूंजी की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। इससे रियल्टी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा।' अर्थ इन्फ्रास्टक्चर के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक विकास गप्ता भी इससे सहमति जताते हए कहते हैं कि अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए यह अच्छा बजट है।

अफ्रोडेंबल सेठातेंट को प्रोत्साहन पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए वित्त मंत्री ने सौगात दी है। उन्हें 25 लाख रुपये तक के होम लोन (प्रॉपर्टी 40 लाख रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए) पर सालाना ब्याज के शुगतान

हाम लान (प्रापटा 40 लाख रुपय सं ज्यादों का नहीं होनी चाहिए) पर सालाना ब्याज के भुगतान 'में एक लाख रुपये की अतिरिक्त कर कुट देने का प्रावधान किया है। यानी ऐसे लोगों को 2.5 लाख रुपये तक के सालाना ब्याज भुगतान पर करमें खूट मिलेगी। केपीएमजी के निदेशक नीएज बंसल का कहना है, 'इसका दोहरा प्रभाय पढ़ेगा। अफोडेंब्ल हाउसिंग संगर्मेट के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और भवन निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।' सेविवर बिल्डर्स के निदेशक संजय रस्तोगी कहते हैं, 'किफायती आवासों की मांग बरकरार रहेगी और यह बढ़ भी सकती है। इस साल ऐसे घरों का अच्छा बाजार मिल सकता है, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए से अधिक न हो।'

कानत 25 शाख उप के जिसके ने ता हालांकि इस छूट का लाभ महानगरों और पहली श्रेणी (टियर-1) में रहने वाले लोगों को बहुत कम मिल पाएंगा, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर, मुम्बई और बेंग्लुरू जैसे शहरों में 40 लाख के मकान गिन-चुने इलाकों में ही उपलब्ध हैं। हां, इससे दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोगों को जरूर फायदा होगा। आस-टेक डेललपर्स के प्रबंध निरोशक राजेश कुमार यादव के मुताबिक, '25 लाख रुपए के लोन पर 1 लाख रुपए की छूट से टियर-2 व टियर-3 शहरों में घर खरीदने वाले लोगों को लाभ होगा।'

आवास की समस्या से निबटने हेतु फंड ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासों की समस्या

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासों की समस्या की कम करने के लिए बजट में क्रमशः 6,000 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये के फंड स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की हैं। रियल्टी सेक्टर से जुड़े कई लोगों ने इसका स्वागत किया है। रामप्रस्थ ग्रुप के सीईं ओ निखिल जैन ने कहा, 'इस कदम से रियल्टी सेक्टर में तरहता बढ़ेगी और सेक्टर को कुछ भावड़ा होगा। इससे खरीदारों का सीटमेंट सुधरंगा और वे फिर से बाजार में आएंगे।'

डेवलपरों के संगठनों ने जताई निराशा

डेवलपरों की अखिल भारतीय संस्था क्रेडाई ने रियल्टी सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सुझाए गए उपायों पर विचार नहीं किए जाने पर निराशा जताई है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जैन ने

कहा, 'हमने रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मौजूदा 50,000 वर्ग मीटर और 25 एकड़ की सीमा को 20 प्रतिशत घटाने का सुझाव दिया था लेकिन वित्त मंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जैन के मताबिक रियल्टी सेक्टर को भविष्य में भी धन की कमी की समस्या से जूझना पड़ेगा। एआईपीएल के कार्यकारी निदेशक संजय सचदेव कहते हैं, 'देश के रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री से कई उम्मीदें थीं, लेकिन उनमें से कुछ ह पूरी हो पाई हैं।' रियंल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से मांग कर रहा है कि इसे इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, लेकिन यह उम्मीद इस साल भी पूरी नहीं हुई। रहेजा डेवलपर के सीएमडी व नारेडक के अध्यक्ष नवीन रहेजा ने निराशा जताते हुए कहा कि उम्मीद थी कि रियल्टी सेक्टर को इन्फ्रास्ट्रक्च का दर्जा मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ।

वहीं 50 लाख से ज्यादा की अचल संपत्तियों की बिब्र अप एक प्रतिशत दीडीएस लगाए जाने से भी डेवलपरों में निराशा है। पंचशील के निरंशक अनुज चौधरी कहते हैं, 'इससे भविष्य में इस सेक्टर की स्थित सुधरने की बजाय और बिगड़ेशी।' महंगे व बड़े मकानों पूर भी वित्त मंत्री ने कुछ बोझ बढ़ाया है। 2,000 वर्ग फीट से ज्यादा परिया या एक करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत वाले मकान थोड़े महंगे हो सकते हैं, क्यों के ऐसे मकानों पर पहले की अपेक्षा अब ज्यादा सर्विश टेक्स रेना पड़ेगा हो का कहते हैं, 'विश्व सर्विश टेक्स रेना पड़ेगा हो कि जकते हैं, क्यों के ऐसे मकानों पर पहले की अपेक्षा अब ज्यादा सर्विश टेक्स रेना पड़ेगा हो का कहते हैं, 'विश्व सर्विश टेक्स रेना पड़ेगा हो का कहते हैं, 'विश्व सर्विश टेक्स रोन स्वात करा उठ फीसदी तक पहुंच जाएगा।' कुल मिला कर लब्बोलुआब यही है कि विश्व हो की प्रांपर्टी से जुड़े बड़े सीदों पर थोड़ी सख्ती बरती है।